

**राजकीय महाविद्यालय बंजार जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश के छात्र निधि लेखाओं का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन**

अवधि 1.4.2008 से 31.3.2013

भाग – एक

1. गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से पाई गई । अनिर्णीत पैरों के पूर्ण निपटारे हेतु अविलम्ब कार्यवाई की जाए।

(क) गत अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2000 से 31.3.2013

- | | | |
|----|--------|----------|
| 1. | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 2. | पैरा 8 | अनिर्णीत |

(ख) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.2003 से 31.3.2008

- | | | |
|----|---------|----------|
| 1. | पैरा 5 | अनिर्णीत |
| 2. | पैरा 6 | अनिर्णीत |
| 3. | पैरा 7 | अनिर्णीत |
| 4. | पैरा 8 | निर्णीत |
| 5. | पैरा 9 | निर्णीत |
| 6. | पैरा 10 | निर्णीत |
| 7. | पैरा 11 | अनिर्णीत |
| 8. | पैरा 12 | निर्णीत |
| 9. | पैरा 13 | अनिर्णीत |

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

राजकीय महाविद्यालय, बंजार जिला कुल्लू के छात्र निधि लेखों अवधि 1.4.08 से 31.3.2013 का अंकेक्षण, जिस के परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गये हैं, श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी (लेखा-परीक्षा) द्वारा दिनांक 17.5.13 से 24.5.13 व 3.6.13 से 22.6.13 के दौरान बंजार में किया गया विस्तृत जांच हेतु माह 11/2008, 12/2008, 10/2009, 12/2009, 6/2010, 4/2010, 6/2011, 11/2011, 10/2012 व 12/2012 के लेखों का चयन किया गया । अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया ।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन प्रधानाचार्य द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख एवं सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग प्रधानाचार्य द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना उपलब्ध न करवाने के लिए किसी भी प्रकार से

उत्तरदायी नहीं होगा स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का दायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित है।

3. राजकीय महाविद्यालय बंजार जिला कुल्लू में अवधि 4/08 से 3/2013 के दौरान निम्नलिखित प्रधानाचार्य महाविद्यालय में कार्यरत थे।

क्र० सं०	नाम	अवधि
1.	Smt.Dhaneswari Sharma	Principal 27-3-08 to 31-8-10
2.	Sh. Tej Singh Verma	Officiating 1-9-10 to 20-7-2011
3.	Sh.Mandeep Sharma	Officiating 21-7-11 to 29-7-11
4.	Sh.Sunder singh thakur	Officiating 30-7-11 to 20-11-11
5.	Dr.Ajai Sharma	Principal 20-11-11 to 31-3-13

4. अंकेक्षण शुल्क:-

राजकीय महाविद्यालय के छात्र निधि लेखों अवधि 4/2008 से 3/2013 तक के अंकेक्षण शुल्क का आंकलन वार्षिक आय के आधार पर निम्न प्रकार से किया गया।

वर्ष	कुल आय (₹)	अंकेक्षण शुल्क (₹)
2008-09	458183.00	7000
2019-10	558535.00	7000
2010-11	806623.00	7000
2011-12	888100.00	7000
2012-13	985761.00	7000
	कुल योग	35000

प्रधानाचार्य राजकीय महाविद्यालय बंजार जिला कुल्लू के अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अध्याचना सं० फिन(एल०ए०)एम के कुल्लू 6/2013. 949 दिनांक 24.6.2013 द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा हि०प०. शिमला-171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया।

5. वित्तीय स्थिति :-

(i) राजकीय महाविद्यालय के लेखों अवधि 4/2008 से 3/2013 की विभिन्न छात्र निधियों की वित्तीय स्थिति का ब्यौरा परिशिष्ट "क" के पृ० सं० 1 से 3 तक में दिया गया है।

(ii) सावधि निवेश:- महाविद्यालय के लेखों अवधि 4/2008 से 3/2013 के दौरान कोई भी दीर्घकालीन सावधि निवेश नहीं किया गया।

6. ३ शैक्षणिक भ्रमण व वार्षिक समारोह हेतु छात्रों से ₹14308.50 की अनाधिकृत वसूली :-

छात्र निधि लेखों अवधि 4/08 से 3/2013 के अभिलेख की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय में छात्रों से प्रवेश के समय शैक्षणिक भ्रमण व वार्षिक समारोह के लिये ₹2 व ₹3 प्रतिछात्र बसूली की गई जो कि अनियमित ही नहीं, अनुचित भी थी। अतः निम्न विवरणानुसार वसूल की गई अनाधिकृत छात्र निधि की राशि वारे स्थिति स्पष्ट की जाए व एकत्रित राशि को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की अनुचित अनियमित छात्र निधि की बसूली को तुरन्त रोक लगाई जाए। व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

सत्र	वसूली की गई राशि शैक्षणिक भ्रमण	वार्षिक समारोह
2008-09	982	1227.50
2009-10	1122	1402.50
2010-11	1280	1601.00
2011-12	1444	1804.50
2012-13	1378	2067.00
कुल योग	6206	8102.50=14308.50

7. म्युचुअल बैनीफिट निधि की ₹6170/- की अनाधिकृत वसूली:-

निधि लेखों अवधि 4/08 से 3/3013 की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि महाविद्यालय में म्युचुअल बैनीफिट निधि की छात्रों से वसूली की गई जबकि student aid fund को मिश्रित निधि के साथ पृथक से वसूल किया गया इस प्रकार महाविद्यालय में छात्रों से उपरोक्त दोनों छात्र निधि ₹2 प्रति छात्र बसूले गये जबकि केवल student aid fund की बसूली ही नियमानुसार की जानी अपेक्षित थी। अतः छात्रों से म्युचुअल बैनीफिट निधि छात्रों से अनियमित रूप से वसूल करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली गई राशि को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत ले कर नियमित किया जाये। भविष्य में इस प्रकार के छात्र निधि एकत्रित करने पर रोक लगाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

8. ₹ 975.50 की फीस व निधि की राशि की कम वसूली:-

अंकेक्षण के दौरान अवधि 4/08 से 3/2013 की फीस व निधि रसीदों की जाँच करने पर पाया कि निम्न लिखित रसीदों को फीस व निधि संग्रह रजिस्टर में कम राशि दर्ज की गई। कम लेखावद्ध राशि की बसूली करके सम्बन्धित छात्र निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

रसीद संख्या	दिनांक	छात्र का नाम	रसीद अनुसार राशि	निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि	कम दर्ज राशि
2588	30.6.10	कुसम शर्मा	1085.50	785.50	300.00
2591	30.6.10	भाग सिंह	675.50	—	675.50
				कुल योग	975.50

9. ₹ 397 की राशि का रोकड वही में कम जमा किया जाना:-

फीस व निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टि का विभिन्न निधियों की रोकड वहियों से मिलान करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में विभिन्न छात्र निधियों की रोकड वहियों में कम राशि जमा की गई जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व वसूली करके राशि सम्बन्धित छात्र निधियों में जमा करके अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

निधि का नाम	रोकड वही पृ० स०	दिनांक	फीस व निधि संग्रह रजिस्टर में दर्ज राशि ₹	रोकड वही में जमा राशि रु	कम जमा हुई राशि ₹
जियोग्रफी निधि	111	25.6.10	855	765	90
रौबर एण्ड रेन्जर निधि	9	5.7.10	1965	1950	15
जियोग्रफी निधि	111	5.7.10	1350	1305	45
मिश्रित निधि	14	30.6.10	7977	7730	<u>247</u>
				कुल योग	<u>397.00</u>

10. खेल कूद प्रतियोगिताओं व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बस किराये में आवश्यक छूट न लेने के फलस्वरूप ₹ 9825.00 की हानि/ अधिक व्यय:—

छात्र निधि लेखो अवधि 1.4.08 से 31.3.2013 के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विभिन्न खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बस किराये में छूट का लाभ नहीं लिया गया है जबकि हि० प्र० सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं को खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर बस किराये के भुगतान पर 50% छूट का प्रावधान है। उक्त योजना के अनुरूप बस किराये में छूट न लेने के फलस्वरूप महाविद्यालय को ₹ 9824.00 की हानि / अधिक व्यय किया गया जिस का व्यौरा परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। अतः आवश्यक छूट न लेने के फलस्वरूप हुई हानि / अधिक व्यय बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक किये गये व्यय की सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृत लेकर नियमित किया जाये अन्यथा बसूली उचित स्रोत से करके राशि जमा करवाई जाए। भविष्य में खेलकूद व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये रियायती किराये की सुविधा का लाभ लिया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

11. मिश्रित निधि से ₹124575.00 का अनियमित भुगतान:—

महाविद्यालय के मिश्रित निधि लेखो अवधि 4/08 से 3/2013 के अभिलेख की जाँच करके पर पाया गया कि मिश्रित निधि से महाविद्यालय के विभिन्न व्यय हेतु ₹124572-00 का भुगतान ऋण के तौर पर विभिन्न प्रयोजन हेतु किया गया जो कि उक्त निधि पर उचित प्रभार नहीं था अतः निम्नलिखित व्यय की उचित स्रोत से भरपाई कर के राशि को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये। भविष्य में इस प्रकार के व्यय को मिश्रित निधि से न किया जाये तथा अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।

रोकड वही पृ०	दिनांक	जिस उद्देश्य हेतु भुगतान किया गया	राशि
स०			
76	16.12.09	बिजली का मीटर स्थापित करने के लिये	43211
76	16.12.09	कार्यालय प्रयोग हेतु व्यय	4301
80	23.4.10	टेलीफोन बिल भुगतान	12476
22	5.11.11	बिजली खपत बिल	12302
22	25.11.11	कार्यालय आकस्मिक व्यय	8103
22	28.11.11	टेलीफोन बिल भुगतान	1194

40	1.12.12	टेलीफोन विल भुगतान	2272
40	6.12.12	बिजली खपत बिल	19031
42	26.12.12	बिजली व टेलिफोन विल	6087
43	28.12.12	कार्यालय आकस्मिक व्यय	15598
कुल योग			124575.00

12. ₹ 3221.00 की राशि का भुगतान मिश्रित निधि से विल सं० 927, दिनांक 17.10.11 द्वारा मै० ठाकुर इलेक्ट्रॉनिकल, बन्जार को बिजली का सामान खरीदने हेतु किया गया। उक्त विल की जाँच करने पर पाया गया कि उक्त फर्म के बिल के वास्तविक योग ₹2221.00 बनता था तथा उन्हें इतनी ही राशि देय बनती थी उपरोक्त फर्म को ₹1000.00 के अधिक भुगतान वारे स्थिति स्पष्ट की जाए व अधिक भुगतान की बसूली करके राशि को मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में करवाई जाये।
13. ₹15598.00 की राशि का ऋण महाविद्यालय की युनिवर्सिटी कंटीन्यूएशन फीस हेतु रोकड वही मिश्रित निधि से लिया गया है जिसे अंकेक्षण अवधि तक मिश्रित निधि में वापिस नहीं किया गया था अतः उपरोक्त ऋण की राशि को उचित स्रोत से प्राप्त कर के मिश्रित निधि में जमा करवाया जाये तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।
14. यूनिवर्सिटी निधि अवधि 4/06 से 3/2013 के लेखों के अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित मामलों में वास्तविक भुगतान से सम्बन्धित प्राप्ति की रसीदें अभिलेख में नहीं लगाई हैं। अतः भुगतान की रसीदों को प्राप्त करके सत्यापनार्थ आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए अन्यथा बसूली करके राशि छात्र निधि में जमा करवाई जाए।

माह	रोकड वही	संस्था का नाम	विवरण	राशि
	पृ० सं०			
11/2011	36	हि०प्र० विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रेशन फीस यूथ फीस	12870
11/2011	36	हि०प्र० विश्वविद्यालय	रजिस्ट्रेशन फार्म	1490

15. मिश्रित निधि से दिनांक 20.12.12 को विल संख्या 5349 दिनांक 28.11.12 द्वारा मै० मन्ता जी एससिएट माहल को मु० ₹7990/-का भुगतान एकवागार्ड खरीदने हेतु किया गया। जाँच करने पर पाया गया कि एकवागार्ड की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि नहीं की गई। बिना स्टॉक प्रविष्टि किये प्राप्ति को दर्शाए बिना भुगतान कर दिए जाने वारे स्थिति स्पष्ट की जाए। उपरोक्त खरीद की स्टॉक प्रविष्टि कर के अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण में कार्यवाई जाये। अन्यथा व्यय राशि की बसूली करके राशि छात्र निधि जमा कार्यवाही जाए।

- 16 आपति विवरणिका:-यह अलग से जारी नहीं की गई।
- 17 निष्कर्ष:-महाविद्यालय के लेखाओं के रखरखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

पृ० स० फिन(एल.ए)H(2)(c)(15)11(3)101/93 दिनांक, 16.12.2013, शिमला-171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :-

- पंजीकृत
- 1 प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, बंन्जार जिला कुल्लू हि.प्र. को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजें।
 - 2 निदेशक, शिक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-171001.
 - 3 श्री मोहिन्द्र कुमार अनुभाग अधिकारी, द्वारा-----

हस्ता/-
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009.

